छांगुर बाबा के मुंबई सहित देशभर के 14 ठिकानों पर छापेमारी सुबह 5 बजे बलरामपुर और मुंबई पहुंचीं टीमें

हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय स्वाभिमान

RNI No. : MAHHIN/2008/24084. www.rashtriyaswabhimaan.com

वर्ष : 16 ● अंक : 300 ● मुंबई, शुक्रवार, 18 जुलाई 2025 ● पृष्ठ : 4 ● मूल्य 1 रुपए

अखाड़ा बन गया महाराष्ट्र का विधानभवन, भाजपा और पवार गुट के समर्थकों में जमकर चले लात-घूंसे

मुंबई। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी राकांपा (शरदचंद्र पवार) के दो विधायकों के समर्थकों के बीच विधानभवन परिसर में मारपीट होने से आज विधानभवन अखाड़े का रूप लेता दिखाई दिया। एक दिन पहले ही उक्त दोनों विधायकों के बीच विधान भवन के बाहर कार से उतरते हुए तीखी बहस हुई थी। गुरुवार को राकांपा (शरदचंद्र पवार) के विधायक जीतेंद्र अह्वाड एवं भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थकों के बीच विधान भवन परिसर में ही हाथापाई शुरू हो गई और यह मारपीट कुछ देर तक चलती रही। कुछ देर बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों समूहों को अलग किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए पडलकर ने कहा कि मुझे इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता। आप उनसे (आह्वाड से) पूछ सकते हैं, वह सदन में बैठे हैं। मैं इसमें शामिल किसी व्यक्ति को नहीं जानता। इसके बाद भाजपा विधायक ने वरिष्ठ मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात की और घटना पर खेद जताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह घटना विधानमंडल की गरिमा के अनुकूल नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद अध्यक्ष को इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना और विधान भवन में यह दृश्य पैदा होना गंभीर मामला है। पूर्व मंत्री आह्वाड ने विधानमंडल परिसर के भीतर सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक विधान भवन

के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब है? हमारा अपराध क्या है? मैं तो बस ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकला था। मुझे लगता है कि वे मुझ पर हमला करने आए थे। बता दें कि यह घटना बुधवार को विधान भवन के प्रवेश द्वार पर आह्वाड और पडलकर के बीच हुई बहस के बाद हुई है। एक वायरल वीडियो में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होती दिख रही है।

इस घटना के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमलावरों को पास जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि गुंडागर्दी विधान भवन तक पहुंच गई है। विधान भवन परिसर में कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह हुआ। शिवसेना (यूबीटी) के एमएलसी अनिल परब ने विधान परिषद में भी इस घटना का मुद्दा उठाया।

विधानसभा सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विधानमंडल परिसर में अत्यधिक भीड़भाड़ पर चिंता व्यक्त की। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने विधानमंडल पास जारी करने की जांच की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि उन्होंने घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और उचित कार्रवाई की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि विधान भवन के सुरक्षा कर्मचारियों ने इस झड़प के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। विधानमंडल के मानसून सत्र में विधानसभा में अंतिम सप्ताह (नियम 293) की चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष खासतौर पर शिवसेना (उद्धव) पर जमकर निशाना साधा। शिंदे ने मुंबई की मीठी नदी से गाद निकालने के ठेके में भ्रष्टाचार को लेकर उद्धव गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को ठेके में डिनो मोरिया नजर आया, लेकिन अब मराठी का मुद्दा उठाने वालों को कोई मराठी ठेकेदार दिखाई नहीं दिया। शिंदे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर डिनो मोरिया ने मुंह खोला, तो कई लोगों का 'मोरया' हो जाएगा। इसके बाद शिंदे और उद्धव के विधायक आमने-सामने आ गए और एक दूसरे पर वार पलटवार करते देखे गए। जिसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

असम आईईडी धमाकों की साजिश मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। एनआईए ने असम में आईईडी धमाकों की साजिश मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों पिछले साल असम में बरामद कई संवर्धित विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) की साजिश में शामिल थे। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर धमाके करने की साजिश के तहत इन आईईडी को गुवाहाटी में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह उल्फा (आई) ने लगाया था। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान असम के डिब्रूगढ़ जिले के निवासी भार्गोब गोगोई और सुमू गोगोई के तौर पर की गई है। दोनों प्रतिबंधित समूह उल्फा आई की आतंक फैलाने और राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुंचाने की साजिश में सीधे तौर पर शामिल थे।

इमेज सर्च टूल से पकड़ी गई बैंक धोखाधड़ी की आरोपी लगभग दो दशक से थी फरार, पहचान बदलकर रह रही थी इंदौर में

बेंगलुरु। सीबीआई ने 1 अगस्त 2006 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज ब्रांच, बेंगलुरु को हुए 8 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में मेसर्स इंडो मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी रामानुजम मुथुरामलिंगम शेखर और उनकी पत्नी बीटीसी होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक मणि एम. शेखर मुख्य आरोपी थे। दोनों पर 2002 से 2005 के बीच फर्जीवाड़ा कर बैंक को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप था।

मामले की चार्जशीट 2007 में दाखिल की गई, लेकिन दोनों आरोपी कोर्ट के समन और वारंट का पालन नहीं कर रहे थे। आखिरकार 27 फरवरी 2009 को उन्हें अदालत ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया। सीबीआई ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम भी रखा था, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी।

सीबीआई को जांच में पता चला कि दोनों ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली थी। उन्होंने अपने नाम कृष्ण कुमार गुप्ता (पति) और गीता कृष्ण कुमार गुप्ता (पत्नी) रख लिए थे। साथ ही उन्होंने मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड और अन्य पहचान से जुड़ी जानकारियां भी बदल दीं। इनका डिजिटल ट्रैक भी नहीं मिल रहा था क्योंकि इन्होंने पुराने केवाईसी दस्तावेजों का इस्तेमाल नहीं किया।

आखिरकार सीबीआई ने इमेज सर्च और विश्लेषण टूल का सहारा लिया, जिससे चेहरे की तुलना कर उनकी पहचान की गई। टूल से मिले 90% से ज्यादा फोटो मिलान के आधार पर, पता चला कि आरोपी इंदौर में बदले हुए नाम से रह रही थी। इसके बाद सीबीआई टीम ने दबिश देकर उसे 12 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया।

निर्यात होने वाले पशुधन पर 37 एंटीबायोटिक दवाएं प्रतिबंधित

नई दिल्लीः अब देश से निर्यात किए जाने वाले पशुधन और उससे जुड़े उत्पादों पर रोगाणुरोधी औषधियों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। केंद्र सरकार ने पशुधन को बढ़ावा देने के नाम पर इस्तेमाल की जा रही 37 दवाओं — जिनमें 18 एंटीबायोटिक्स, 18 एंटीवायरल और एक एंटीप्रोटोजोअल शामिल हैं — पर रोक लगा दी है।

वाणिज्य विभाग ने 15 जुलाई को जारी आदेश में स्पष्ट किया कि दूध और उसके उत्पादों, शहद, अंडा और अंडा उत्पादों, पशुओं की आंत और खाल सहित कई निर्यात वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर मानकों में संशोधन किया गया है। इसके तहत इन उत्पादों में रोगाणुरोधी औषधियों के अंश पाए जाने पर निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पोल्ट्री फार्मों में भी अब ऐसे औषधीय उत्पादों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही मधुमक्खियों, दूध देने वाले पशुओं, अंडा देने वाले पक्षियों, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअरों में इन दवाओं के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।

वाणिज्य विभाग का कहना है कि ये दवाएं आमतौर पर पशुओं के विकास को तेज़ करने और बीमारियों से बचाव के नाम पर इस्तेमाल की जाती रही हैं। लेकिन इनके अधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका रही है, खासकर जब इनका अंश खाद्य उत्पादों में मिल जाता है। अब ये दवाएं न तो फार्मों में इस्तेमाल होंगी और न ही पशुपालन से जुड़ी दुकानों पर उपलब्ध रहेंगी।

लैंड फॉर जॉब्स घोटाला मामले में लालू यादव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को होगी सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही कर चुका है याचिका खारिज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 'जमीन के बदले नौकरी' घोटाले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ 18 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव की इसी मांग को ठुकरा दिया था और कहा था कि कार्यवाही पर रोक का कोई ठोस कारण नहीं है।

यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप-डी की भर्तियों के बदले में उम्मीदवारों से लालू परिवार या उनके करीबियों के नाम पर जमीन ली गई। सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों समेत कई अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सीबीआई की एफआईआर और 2022, 2023 और 2024 में दाखिल चार्जशीट्स को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह मामला 14 साल बाद उठाया गया जबकि सीबीआई पहले इसे बंद कर चुकी थी। लालू के अनुसार, पहले की गई क्लोजर रिपोर्ट को छिपाकर दोबारा जांच शुरू करना कानून का दुरुपयोग है और यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इस घोटाले से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। 14 मई को ईडी ने अदालत को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मई को लालू यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत दी गई है, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत आती है।

शहरी नक्सलवाद के बाद अब धर्मांतरण पर प्रहार धर्मांतरण पर कानून लाएगी महाराष्ट्र सरकार

फडणवीस ने विधान परिषद में किया बड़ा ऐलान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला एससी आरक्षण सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिखों तक सीमितः मुख्यमंत्री

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में स्पष्ट किया कि अनुसूचित जातियों (SC) को मिलने वाला आरक्षण केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों तक सीमित है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 26 नवंबर 2024 के आदेश के अनुसार जो लोग अन्य धर्म अपना चुके हैं, उन्हें SC आरक्षण या जाति प्रमाणपत्र का लाभ नहीं मिलेगा।

भाजपा विधायक अमित गोरखे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए 'क्रिप्टो क्रिश्चियन' यानी वे लोग जो धर्मांतरण के बाद भी अनुसूचित जाति के लाभ लेते हैं, का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी प्राप्त करता है और बाद में उसका प्रमाणपत्र अमान्य पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए चुनाव लड़ा है तो उसका चुनाव रद्द किया जाएगा। फडणवीस ने सदन को बताया कि लालच, धोखा या दबाव देकर कराए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार कानून लाएगी। पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट मिल गई है और उसकी सिफारिशों का अध्ययन कर कानून बनाया जाएगा। भाजपा विधायकों चित्रा वाघ और प्रवीण दरेकर ने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की मांग उठाई थी।

भाजपा नेता अमित गोरखे ने कहा कि कुछ लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं लेकिन पहचान छिपाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग बताया। भाजपा विधायक चित्रा वाघ ने भी ऐसे मामलों की ओर ध्यान दिलाया, जहां पुरुषों ने अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर महिलाओं से विवाह किया। उन्होंने सांगली की एक घटना का उल्लेख किया, जहां एक महिला को विवाह के बाद जबरन धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया गया और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर पहले ही विधानसभा में कह चुके हैं कि राज्य सरकार शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लाएगी, जो अन्य राज्यों के ऐसे कानूनों की तुलना में अधिक कठोर होगा।

शिकोहपुर लैंड डील केस

रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ीं मुश्किलें

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हरियाणा के चर्चित शिकोहपुर लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही उनकी करीब 43 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 36 करोड़ रुपये बताई जा रही है। चार्जशीट में वाड्रा के अलावा कुछ और व्यक्तियों और कंपनियों के नाम भी शामिल हैं।

वाड्रा पर आरोप हैं कि उनसे जुड़ी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस सौदे का म्यूटेशन भी असामान्य तरीके से कर दिया गया। आरोप है कि हरियाणा के तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका लाइसेंस दिया था। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई। बाद में वाड्रा से जुड़ी कंपनी ने कंपनी ने ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी। आगे चलकर हुड्डा सरकार ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि

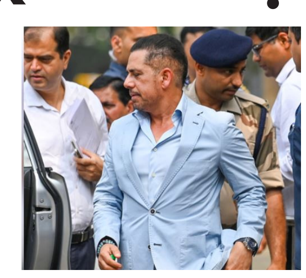

इस पूरी डील में कई अनियमितताएं की गई। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस सौदे से जुड़े मामले में केस दर्ज किया। आगे चलकर ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की।

राबर्ट वाड्रा से जुड़े इस मामले में हुई कथित गड़बड़ी का खुलासा आईएएस अशोक खेमका ने किया था। इसके बाद वे सुर्खियों में आ गए थे। बीते एक दशक से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगे आरापों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों ने अलग-अलग चुनावों में कांग्रेस पर आरोप साधने के लिए किया है।

दिसंबर 2023 में ईडी ने इस मामले में यूएई स्थित व्यवसायी सीसी थंपी और ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्ढा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में वाड्रा और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन उनकी भूमि खरीद-बिक्री का विवरण शामिल है। ईडी ने कहा था कि वाड्रा से कथित तौर पर जुड़े थंपी ने 2005 से 2008 के बीच दिल्ली-एनसीआर स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा के जरिए हरियाणा के फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में लगभग 486 एकड़ जमीन खरीदी थी। आरोपपत्र के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा ने 2005-2006 में एचएल पाहवा से अमीरपुर में 334 कनाल (40.08 एकड़) जमीन के तीन टुकड़े खरीदे और दिसंबर 2010 में उसी जमीन को एचएल पाहवा को बेच दिया। ईडी के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अप्रैल 2006 में एचएल पाहवा से हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अमीरपुर गांव में 40 कनाल (05 एकड़) कृषि भूमि खरीदी और फरवरी 2010 में उसी जमीन को एचएल पाहवा को बेच दिया।

रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी तीन अलग-अलग मामलों में जांच कर रही है। इनमें दो केस जमीन सौदों से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के हैं। अप्रैल में भी एजेंसी ने उन्हें लगातार तीन दिन पूछताछ के लिए बुलाया था। शिकोहपुर लैंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कार्रवाई को मौजूदा सरकार द्वारा उनके खिलाफ रची गई राजनीतिक साजिश करार दिया है।

एचडी कुमारस्वामी को 'सुप्रीम' राहत, अवमानना कार्रवाई पर रोक, एनजीओ को जारी किया गया नोटिस

बिदादी। कर्नाटक के बिदादी स्थित केथागनहल्ली गांव में जमीन कब्जे के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ शुरू हुई अवमानना की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कुमारस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी है और एनजीओ समाज परिवर्तन समुदाय को नोटिस जारी किया है, जिसने उन पर अतिक्रमण के आरोप लगाए थे।

एनजीओ ने आरोप लगाया था कि कुमारस्वामी और उनके परिवार ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह जमीन बिदादी गांव में स्थित है। इसके पीछे 14 जनवरी 2020 को हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश की कथित अवहेलना का मामला बताया गया है। उस आदेश में कहा गया था कि कर्नाटक सरकार को लोकायुक्त के 5 अगस्त 2014 के आदेश का

तीन सप्ताह के भीतर पालन करना होगा।

कुमारस्वामी के वकील सीए सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यह मामला पहले ही लोकायुक्त ने 3 मार्च 2021 को बंद कर दिया था, इसलिए उसके किसी अंतरिम आदेश पर अवमानना की कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता उस वक्त कार्यवाही का पक्षकार नहीं था और फिर भी उसे बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की गई। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता सिर्फ अदालत के निर्देश पर यह मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया, इसलिए उसे जबरन पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने मामले में प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान 17 अप्रैल 2025 के आदेश की प्रभावशीलता स्थगित रहेगी।

हालांकि कोर्ट ने फिलहाल कर्नाटक सरकार या अन्य प्रतिवादियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अगली सुनवाई से पहले एनजीओ से ही जवाब मांगा गया है।

धोकादायक इमारतों में रहने वालों को मिलेगा 20 हजार का किराया म्हाडा ने संक्रमण शिविर किराए पर लिए

बारिश से पहले 96 इमारतें घोषित की गईं अतिधोकादायक, 2577 परिवार प्रभावित

मुंबईः बारिश से पहले मुंबई इमारत मरम्मत व पुनर्रचना मंडल (MHADA) ने शहर में 96 इमारतों को 'अतिधोकादायक' घोषित किया है। इन इमारतों में 2577 किराएदार और रहिवासी रहते हैं, जिन्हें जान का खतरा है। बावजूद इसके, लोगों द्वारा इमारतें खाली नहीं की जा रही हैं।राज्य के कैबिनेट मंत्री शंभुराज देसाई ने विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि ऐसे परिवारों को अब संक्रमण शिविरों में रहने की मजबूरी नहीं होगी। संक्रमण शिविर में न रहने वाले परिवारों को म्हाडा की ओर से हर महीने 20,000 रुपये किराया सहायता दी जाएगी, जिससे वे निजी इमारतों में किराए पर रह सकें।

देसाई ने बताया कि मुंबई शहर और उपनगर में म्हाडा के 20,363 संक्रमण शिविर घर उपलब्ध हैं, जिनमें से 590 घर फिलहाल खाली हैं। लेकिन अधिकांश लोग संक्रमण शिविरों में नहीं रहना चाहते। इसलिए विकल्प के तौर पर सरकार ने किराया सहायता देने का फैसला किया है।

म्हाडा ने तीन साल के लिए कुछ इमारतें किराए पर ली हैं, जिन्हें संक्रमण शिविर के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। जर्जर इमारतों को लेकर कांग्रेस विधायक भाई जगताप द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री देसाई ने यह जानकारी दी।

शंभुराज देसाई ने यह भी बताया कि जर्जर इमारतों के पुनर्विकास के लिए नियमों के तहत तीन विकल्प मौजूद हैं और जब भी आवेदन आता है, उन्हीं के आधार पर अनुमति दी जाती है। मगर बड़ी चुनौती यह है कि लोग धोकादायक इमारतें छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ती जा रही है।

संपादकीय

नए आपराधिक क़ानूनों का क्रियान्वयन

धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात हरियाणा ने एक बार फिर देश की न्याय व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का सूत्रपात किया है। भारतीय न्याय प्रणाली की जड़ें महाभारत और मौर्यकाल जैसी सभ्यताओं में गहराई तक जमी रही। जहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय की सर्वोच्चता सदैव अक्षुण्ण रही। इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए, हरियाणा ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए तीन नए आपराधिक कानूनों— भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम— के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री के नेतृत्व में यह परिवर्तन केवल विधियों में संशोधन नहीं, बल्कि न्याय-प्रणाली को औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर संस्कृति, संवेदना और समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का एक क्रांतिकारी कदम है।

दरअसल, इन नए क़ानूनों में भीड़ हिंसा, उन्नत तकनीकी अपराध तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा ने इन क़ानूनों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने हेतु ठोस तैयारी की। राज्य के सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जांच अधिकारियों को आधार प्रमाणीकरण, त्वरित दस्तावेज़ीकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियों से सुसज्जित किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 346 के अंतर्गत अब गंभीर अपराधों की सुनवाई प्रतिदिन करना अनिवार्य है। इससे न्याय प्रक्रिया में विलंब कम हुआ है। 'चिह्नित अपराध' योजना के अंतर्गत 1,683 जघन्य अपराधों की निगरानी उच्चतम स्तर पर हुई जिनमें फरीदाबाद, डबवाली और करनाल जैसे जिलों में दोषसिद्धि 95 प्रतिशत से भी अधिक रही है।

हरियाणा ने न्याय प्रणाली में तकनीकी नवाचारों को भी पूर्णतः अपनाया है। वाहन चोरी जैसे मामलों में स्वतः प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण, आधार सत्यापित बयानों की रिकॉर्डिंग और मेडलीपर प्रणाली के माध्यम से चिकित्सा परीक्षण और शव परीक्षण की रिपोर्टिंग को समयबद्ध किया गया। इसके परिणामस्वरूप 90 प्रतिशत से अधिक मामलों का निपटारा एक सप्ताह के भीतर हुआ। ट्रैकिया प्रणाली के माध्यम से फॉरेंसिक प्रमाणों की जांच और लेखा-जोखा पूरी तरह पारदर्शी और उत्तरदायी बना है। फरवरी 2025 में राज्य सरकार द्वारा लागू हरियाणा गवाह संरक्षण योजना के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उन्हें विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, और उन्हें खतरे के अनुसार विशेष सुरक्षा प्रदान की गई। महिलाओं-बच्चों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित निपटान हेतु गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में विशेष त्वरित न्यायालय कार्यरत हैं। चिन्हित अपराधों के तहत मामलों की निगरानी से दोषसिद्धि दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अप्रैल 2025 तक 1,764 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें दोषसिद्धि दर 77.15 प्रतिशत रही। वर्ष 2024 में जुलाई से दिसंबर तक यह दर 89 प्रतिशत तक रही।

उल्लेखनीय मामलों में शीघ्र निर्णय हुए हैं। यमुनानगर जिले में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में 140 दिनों में मृत्युदंड दिया गया। इसी प्रकार गुरुग्राम और पानीपत के मामलों में मात्र 2 से 3 महीनों में निर्णय हो गया। अब न्याय में देरी की परंपरा समाप्त हो रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के अंतर्गत अब ऐसे आरोपियों के विरुद्ध भी सुनवाई संभव है जो न्यायालय से अनुपस्थित हैं। हरियाणा में ऐसे 193 मामलों की पहचान की गई है, और चार मामलों में न्यायालयों ने अनुपस्थित आरोपियों के विरुद्ध निर्णय भी दिए हैं। हरियाणा ने विचाराधीन बंदियों की पेशी के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग को भी अपनाया है। अब 78 प्रतिशत से अधिक पेशियां इसी माध्यम से की जा रही हैं, जिससे सुरक्षा और व्यय दोनों में लाभ हुआ है। राज्य में 2,117 स्थानों को गवाह गवाही केन्द्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जहां गवाह अपनी गवाही ऑडियो/वीडियो माध्यम से दे सकते हैं। प्रत्येक जिले में महिलाओं और संवेदनशील गवाहों के लिए पृथक कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। निस्संदेह, यदि राजनैतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और तकनीकी नवाचार का सही समन्वय हो तो न्याय व्यवस्था को जनपक्षीय, त्वरित और पारदर्शी बनाया जा सकता है। न्याय अब केवल क़ानून का विषय नहीं रहा, बल्कि यह अब समाज के विश्वास, पीड़ित की आशा और अपराधी के लिए दंड की गारंटी बन चुका है। हरियाणा अब इस न्यायिक नवजागरण का अग्रदूत बनकर देश को दिशा दे रहा है।

स्वच्छता एवं नशामुक्ति के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करते सामाजिक संगठन

> “ बीते कुछ वर्षों में कंकरीट की इमारतों में अत्यधिक वृद्धि एवं भूमि प्रयोग में बदलाव के चलते भारत में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। देश के महानगर अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड वह क्षेत्र होता है जहां अगल-बगल के इलाकों से अधिक तापमान रहता है।

इस धरा पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के लिए प्रकृति ने पर्याप्त खाद्य पदार्थ दिए हैं परंतु अति लालच के चलते मानव ने प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि मानव ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए पर्यावरण का अत्यधिक नुकसान किया है और इसका परिणाम आज उसे ही भुगतना भी पड़ रहा है। कई देशों में तो भयंकर गर्मी में वहां के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं जिनसे जान और माल की भारी हानि हो रही है। हम पर्यावरण के सम्बंध में बढ़ चढ़ कर चर्चाएं तो करते हैं परंतु आज हमारे गावों में खेत, प्लाटों में परिवर्तित हो गए हैं। हमारे खेतों पर शोपिंग काम्प्लेक्स एवं मॉल खड़े हो गए हैं जिससे हरियाली लगातार कम होती जा रही है। बीते कुछ वर्षों में कंकरीट की इमारतों में अत्यधिक वृद्धि एवं भूमि प्रयोग में बदलाव के चलते भारत में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। देश के महानगर अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड वह क्षेत्र होता है जहां अगल-बगल के इलाकों से अधिक तापमान रहता है। कई स्थानों पर अत्यधिक गर्मी के पीछे अपर्याप्त हरियाली, अधिक आबादी, घने बसे घर और इंसानी गतिविधियां जैसे गाडियों और गैजेट से निकलने वाली हीट आदि कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। कार्बन डाईआक्साइड और मेथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों एवं कूड़ा जलाने से भी गर्मी बढ़ती है। राजधानी दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है। जहां चारों दिशाओं में बने डंपिंग यार्डों में आग लगी ही रहती है और लोगों का सांस लेना भी अब दूभर हो रहा है।

भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन रहित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया हुआ है। यद्यपि पर्यावरण रक्षा में भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं

लेकिन यह प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक देशवासी प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक अत्यधिक शोषण करना बंद नहीं करते। शहरों के बढ़ते तापमान की रोकथाम हेतु जरूरी है कि मौसम और वायु प्रवाह का ठीक तरह से नियोजन किया जाए। हरियाली का विस्तार, जल स्रोतों की सुरक्षा, वर्षा जल संचय, वाहनों एवं एयर कंडीशंस की संख्या की कमी से ही हम प्रचंड गर्मी को कम कर सकते हैं। पृथ्वी का तापमान घटेगा तभी मानव सुरक्षित रह पाएगा।

उक्त संदर्भ में यह हम सभी भारतीयों के लिए हर्ष का विषय होना चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन मौजूद हैं जो सदैव ही सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सेवा कार्य करने वाले संगठनों को साथ लेकर, देश पर आने वाली किसी भी विपत्ति में आगे आकर, सेवा कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं। भारत के पर्यावरण में सुधार लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो बाकायदा एक नई पर्यावरण गतिविधि को ही प्रारम्भ कर दिया है। जिसके अंतर्गत समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले संगठनों को साथ लेकर संघ द्वारा देश में प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करने का अभियान प्रारम्भ किया गया है और देश में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की मुहिम प्रारम्भ की गई है। साथ ही, विभिन्न शहरों को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाने हेतु भी विशेष अभियान प्रारम्भ किए हैं। उदाहरण के तौर पर ग्वालियर को स्वच्छ, नशामुक्त एवं प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का बीड़ा उठाया गया है।

इसी संदर्भ में ग्वालियर महानगर में विविध संगठनों के दायित्ववान कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर के एक विशेष सत्र में इस बात पर विचार किया गया कि ग्वालियर महानगर को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाया जाना चाहिए। उक्त शिविर के समापन के पश्चात उक्त समस्याओं के हल हेतु विविध संगठनों के दायित्ववान कार्यकर्ताओं की तीन बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में विस्तार से विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि कुछ चिन्हित कार्यकर्ताओं को विभिन्न मठ, मंदिरों, स्कूलों, संस्थानों आदि में विषय प्रस्तुत करने हेतु भेजा जाए ताकि उक्त समस्याओं के हल में समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस संदर्भ में चुने गए 60 कार्यकर्ताओं के लिए एक वक्ता कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इन चिन्हित कार्यकर्ताओं को विभिन संस्थानों में विषय प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था ताकि उक्त समस्याओं के हल करने हेतु समाज को भी साथ में लेकर कार्य को सम्पन्न किया जा सके।

साथ ही, ग्वालियर को प्रदूषण मुक्त सुंदर नगर बनाए जाने के अभियान को स्थानीय जनता के बीच ले जाने हेतु, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर दिनांक 25 दिसम्बर 2024 को, ग्वालियर के चुने हुए 29 चौराहों पर मानव श्रृंखलाएं बनाई गई थी, लगभग 8,000 नागरिकों ने इस मानव श्रृंखला में भागीदारी की थी। इसी प्रकार, ग्वालियर को व्यसन मुक्त नगर बनाए जाने के अभियान को स्थानीय जनता के बीच ले जाने हेतु, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर, दिनांक 12 जनवरी 2025 को एक विशाल मेराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन में स्थानीय प्रशासन का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ एवं लगभग 6,000 नागरिकों ने इस मेराथन दौड़ में भाग लिया था।

संघ के ग्वालियर विभाग द्वारा ग्वालियर महानगर में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने की मुहिम प्रारम्भ की गई। जिसके अंतर्गत ग्वालियर के कई विद्यालयों में वहां के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को साथ लेकर स्वयंसेवकों द्वारा नगर में भारी मात्रा में पौधारोपण किया गया। ग्वालियर की पहाड़ियों पर भी इस मानसून के मौसम के दौरान हजारों की संख्या में नए पौधे रोपे गए हैं। गजराराजा स्कूल, केआरजी महाविद्यालय एवं गुप्तेश्वर मंदिर की पहाड़ियों को तो पूर्णतः हरा भरा बना दिया गया है। नगर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा नगर के विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों, व्यावसायिक संगठनों, धार्मिक संगठनों, एवं नगर के विभिन्न चौराहों पर नागरिकों को शपथ दिलाई जा रही है कि “मैं ग्वालियर नगर को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु, आज से प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करूंगा”। अभी तक एक लाख से अधिक नागरिकों को यह शपथ दिलाई जा चुकी है। कई स्कूल, कई मंदिर एवं कई महाविद्यालय (लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान - एलएनआईपीई सहित) पोलिथिन मुक्त हो चुके हैं। इसी प्रकार, ट्रिपल आईटीएम प्रबंधन के प्रयास से संस्थान के आसपास दुकानदारों द्वारा मादक पदार्थों के बिक्री करना बंद कर दिया गया है। साथ ही, ग्वालियर महानगर में एक लाख से अधिक नागरिक, नशा नहीं करने का संकल्प ले चुके हैं।

विभिन्न मठ, मंदिरों एवं गुरुद्वारों में भंडारों का आयोजन किया जाता है। इन भंडारों में अब प्रसादी को दोनों, पत्तलों में परोसा जाने लगा है एवं प्लास्टिक का उपयोग लगभग बंद कर दिया गया है। साथ ही, इन मंदिरों के आसपास प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा डस्टबिन रखवाये गए हैं, ताकि कचरे को यहां वहां न फैला कर इन डस्टबीन में डाला जा सके। इससे, मठ, मंदिरों एवं गुरुद्वारों के आसपास के इलाके स्वच्छ रहने लगे हैं। ग्वालियर महानगर के जनप्रतिनिधि विभिन्न मैरिज गार्डन में जाकर इनके मालिकों से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इन मैरिज गार्डन में अमानक पॉलीथिन का उपयोग बिलकुल नहीं होना चाहिए। इसका असर यह हुआ है कि अब मैरिज गार्डन में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में प्लास्टिक का उपयोग धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है।

नागरिकों को कपड़े से बने थैले भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि बाजारों से सामान खरीदते समय इन कपड़े के थैलों का इस्तेमाल किया जा सके और प्लास्टिक के उपयोग को तिलांजलि दी जा सके। प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के उद्देश्य से गणेशोत्सव के पावन पर्व पर नगर में विभिन्न गणेश पांडालों में बच्चों द्वारा नाटक भी खेले गए।

सरोकार

जब गुण, प्रयास और जन्म समान होते हुए भी परिणाम अलग निकलते हैं

एक शांत, सुरम्य आश्रम में मुनिवर अपने शिष्यों को धर्म, जीवन और सत्य के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दे रहे थे। वटवृक्ष की छांव में बैठे शिष्य बड़ी श्रद्धा और ध्यान से उनकी वाणी का अमृत पी रहे थे। तभी एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने हृदय में उठते लंबे समय से संचित एक प्रश्न को शब्दों का रूप दिया।

विनम्रता से हाथ जोड़कर वह बोला,

गुरुदेव, मैं बहुत समय से एक प्रश्न में उलझा हूं — सत्य क्या है? क्या वह केवल ज्ञान है, क्या वह केवल अनुभव है, या फिर कुछ और? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, जिससे मेरा भ्रम समाप्त हो सके।₹

मुनिवर मंद-मंद मुस्काए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर देना प्रारंभ किया, हे शिष्य! सत्य शब्द मात्र ज्ञान की परिभाषा नहीं है। सत्य वह है जो समय, परिस्थिति और व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी-सी दृष्टांत कथा के माध्यम से समझाता हूं। सुनो...

उन्होंने कहना शुरू किया —

एक ही डाल पर दो फूल खिले। दोनों ही सुंदर, दोनों ही सुगंधित। परंतु एक को पूजा की थाली में स्थान मिला — वह भगवान के चरणों में चढ़ाया गया, देवता के माथे का तिलक बना। वहीं दूसरा फूल एक अर्थी पर चढ़ाया गया — वह शोक का प्रतीक बन गया, विलग होने के क्षणों का साक्षी। क्या किसी ने कभी सोचा कि दोनों फूलों में अंतर क्या था? नहीं, दोनों तो एक ही प्रकृति से उपजे थे, फिर यह अंतर क्यों?

एक और उदाहरण सुनो — एक ही मेघ से दो बूँदें बरसीं। एक बूँद गिर पड़ी खुले समुद्र के किनारे जलती हुई चिंगारी पर — और भस्म हो गई। वहीं दूसरी बूँद सौभाग्यवश एक खुली सीप में गिर गई और समय के साथ मोती में परिवर्तित हो गई। क्या इन दोनों में कोई अंतर था? नहीं, वे तो एक ही स्त्रोत से आई थीं, फिर उनका भाग्य इतना भिन्न क्यों?

यह कहकर मुनिवर ने एक लंबा मौन लिया। फिर गहन दृष्टि से शिष्यों की ओर देखकर बोले:

यह है नियति का सत्य। जीवन केवल कर्म और गुणों से नहीं चलता, वरन् समय, परिस्थिति और संगत का भी उस पर उतना ही प्रभाव होता है। एक ही गुणवान व्यक्ति यदि गलत संगत में पड़ जाए, तो वह विनाश का कारण बन सकता है। और एक सामान्य व्यक्ति यदि श्रेष्ठ मार्गदर्शन और अनुकूल परिस्थिति में हो, तो वह महान बन सकता है।

इसलिए, केवल गुणी बनना पर्याप्त नहीं है — सही समय पर, सही स्थान पर, सही संगत में रहना भी उतना ही आवश्यक है। परिस्थिति की शक्ति को न समझना मूर्खता है, और यही जीवन का कठोर लेकिन अटल सत्य है।

शिष्य नतमस्तक हो गए। उनकी आँखों में वह झलक थी जो तब आती है जब कोई मन सत्य से टकराता है — नकारता नहीं, स्वीकार करता है।

कथा का सार:

जीवन में सफलता और सम्मान केवल गुणों या कर्मों पर नहीं, बल्कि समय, परिस्थिति और संगत की भूमिका पर भी निर्भर करते हैं। एक ही बीज अलग-अलग भूमि में अलग परिणाम देता है। इसलिए अपने वातावरण, संगत और समय को समझना और चुनना ही असली विवेक है — और यही है 'नियति का सत्य'।

भारत की प्रगति पर ब्रेक के बाद उठती अमेरिकी खींझ के वैश्विक कूटनीतिक मायने को ऐसे समझिए

आपने 'रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं टूटी' वाली कहावत सुनी होगी। यही हालात आज दुनिया के थानेदार अमेरिका की है। एक ओर रूस के दृढ़ निश्चय से यूक्रेन में नाटो देश यानी अमेरिका-यूरोप की खुराफात बुरी तरह से पिट चुकी है। वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान पर भारत के दमदार पलटवार और इजरायल पर ईरान के अप्रत्याशित पलटवार से अमेरिकी वैश्विक बादशाहत को करारा तमाचा लगा है। इन घटनाओं से साफ है कि अमेरिकी और यूरोपीय पश्चिमी देश अब अपराजेय नहीं रहे, बल्कि उनकी फूट डालो और शासन करो की नीति को एशियाई और अफ्रीकी देश भांप चुके हैं। इधर पूर्वी देशों में चीनी जिद्द से रूस (सोवियत संघ के जनक) और भारत की अमेरिका विरोधी नीति सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारत विरोधी पाकिस्तान से अमेरिका के अलावा अब चीन भी प्रेम करने लगा है। इससे उत्तर कोरिया भी भारत के साथ खुलकर मैदान में नहीं आ पा रहा है, जबकि वह चीन और रूस का मित्र है। दो टूक शब्दों में कहा जाए तो रूस अब अमेरिकी और यूरोपीय देशों को करारा जवाब दे सकता है, भारत से दिलवा सकता है, लेकिन चीन के पाकिस्तान प्रेम और भारत से रणनीतिक शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा से एशियाई देशों में अभी भी अमेरिकी-यूरोपीय दाल गल रही है।

ऐसा इसलिए कि वैश्विक कूटनीति में सभी देश अपना-अपना हित देख रहे हैं। इधर भारत के विश्वव्यापी कूटनीतिक प्रभावों से अमेरिका-यूरोप व अमेरिका-अरब देशों में जो रणनीतिक व कारोबारी खटास की नींव पड़ी है, अरब देशों में अमेरिकी चौधराहट को जो तगड़ा धक्का लगा है, उससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। कहाँ वह भारत को अपने पाले में करके पहले चीन को सबक सिखाता और फिर पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को कमजोर करता। लेकिन भारत के चतुर मोदी प्रशासन ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए जो वफादारी दिखाई, उससे अमेरिकी शतरंज की चाल बिखर गई और उसके हथियार निर्माता कम्पनियों के तमाम अरमानों पर पानी फिर गया। ऐसा इसलिए कि भारत के प्रशासन ने सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी, रूसी, चीनी, यूरोपीय, अरब, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अमेरिकी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ जो व्यवहारिक और गिव एंड टेक भरे कदम उठाए, उससे जहां एक ओर रूस-भारत के सम्बन्धों को मजबूती मिली, वहीं अमेरिका और उसके कारोबारी पार्टनर चीन (अब प्रतिस्पर्धी देश) की आर्थिक गतिविधियों और सैन्य रणनीतियों को करारा जवाब मिला। इसी के बदौलत जहां अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते पटरी पर लौटे, वहीं इजरायल से मित्रता के बावजूद ईरान से सम्बन्ध खराब नहीं हुए। इन्हीं सब बातों को लेकर अमेरिका बौखलाया हुआ है।

दरअसल, अमेरिका को गलतफहमी है कि अमेरिका-यूरोप का सहयोग लेकर भारत भी चीन की तरह आशातीत प्रगति कर चुका है और जब तक ये दोनों देश रूस के साथ मित्रता रखेंगे, तब तक नाटो देशों की वैश्विक बादशाहत को रूस, भारत, ईरान जैसे देशों से चुनौती मिलती रहेगी। यही वजह है कि रूस के साथ व्यापार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चेतावनी भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही बातचीत में अड़चन पैदा कर सकती है। ऐसा इसलिए कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने में नाकाम रहे डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरे जरियों से मॉस्को पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि इसमें सफलता की गारंटी लेशमात्र भी नहीं है और इससे दुनिया में नया तनाव पैदा हो सकता है।

देखा जाए तो ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के लिए रूस को और 50 दिनों की मोहलत दी है, और यही डेडलाइन उन्होंने उन देशों के लिए रखी है, जो रूस से तेल समेत दूसरे सामान खरीदते हैं। यानी भारत और चीन, जिनके मतलबी सम्बन्ध रूस और अमेरिका दोनों से हैं। यही वजह है कि अमेरिका की नई धमकी है कि इसके बाद इन देशों पर शत (100) प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। उधर, यही बात नैटो महासचिव मार्क रूट भी दोहरा रहे हैं। उन्होंने तो सीधे-सीधे भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया कि इन देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शांति के लिए बात करनी चाहिए। क्योंकि ये देश ही रूस से तेल खरीदते हैं।बताया जाता है कि कुछ वक्त पहले तक ट्रंप इस बात पर डटे थे कि किसी भी सूरत में यूक्रेन युद्ध रुकना चाहिए। लेकिन, जब उनका दबाव रूस पर कारगर नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी चुगलखोर रणनीति बदल दी। अब वह यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए तैयार हैं और पूछ भी रहे हैं कि क्या रूस पर हमला कर लोगे? ऐसा इसलिए कि अमेरिकी और दूसरे पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस को झुकाने में बाकी दुनिया भी उसका साथ दे- खासकर भारत और चीन। उल्लेखनीय है कि साल 2022 में, जब से रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका की यही कोशिश है। पहले भी उसने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर सवाल उठाए थे और यहां से उसे इसका माकूल जवाब भी मिला था कि दुनिया के हर हिस्से के अपने-अपने हित होते हैं और इस पर यदि अपनी अपनी न चलाई जाए, तो यही सबके हित में बेहतर है। अमेरिका-यूरोप जो काम खुद करते हैं, वही करने के लिए पूरब के देशों को रोकते हैं, ताकि उनकी वैश्विक बादशाहत को रूसी-चीनी-भारतीय चुनौती कभी नहीं मिले। इसके लिये पाकिस्तान, अरब देश और ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान आदि उनके मोहरे हैं।

नजरिया

बर्फ से ढकी आस्था की राह पर श्रद्धालुओं का सैलाब, अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन को निकला 6,064 तीर्थयात्रियों का नया जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना

बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर, 6,064 तीर्थयात्रियों का जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ गुफा मंदिर की ओर रवाना दक्षिण कश्मीर के पवित्र हिमालयी क्षेत्र में स्थित श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के पवित्र दर्शन के लिए बुधवार को 6,064 तीर्थयात्रियों का एक और बड़ा जत्था जम्मू से रवाना हुआ। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह देखते ही बन रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन की लालसा लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे तीर्थयात्री पूरे उल्लास और भक्ति भाव से यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था के बीच इस जत्थे को दो अलग-अलग मार्गों — नुनवान-पहलगाम और बालटाल — के लिए रवाना किया गया। यात्रियों के इस जत्थे में 1,511 महिलाएं भी शामिल हैं, जो इस कठिन यात्रा में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पहलगाम मार्ग से जाने वाले श्रद्धालु 139 वाहनों के काफिले में 3,593 की संख्या में रवाना हुए, जबकि बालटाल मार्ग से यात्रा करने वालों की संख्या 2,471 रही, जो

95 वाहनों के माध्यम से यात्रा पर निकले। दोनों मार्गों से श्रद्धालु गुफा तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग विराजमान होता है और जिसे बाबा बर्फानी के नाम से पूजा जाता है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से आरंभ हुई थी और कुल 38 दिनों तक चलने वाली यह वार्षिक तीर्थयात्रा 9 अगस्त को पवित्र रक्षाबंधन पर्व के दिन संपन्न होगी। यात्रा के लिए इस बार भी सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं, जिसमें सेना, अर्धसैनिक बल, और जम्मू-कश्मीर पुलिस के हजारों जवानों को तैनात किया गया है ताकि श्रद्धालु बिना किसी भय और बाधा के दर्शन कर सकें। अब तक इस धार्मिक यात्रा में 2.35 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में यह संख्या कई लाख तक पहुँचने की संभावना है। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह लोगों के साहस, धैर्य और आस्था की पराकाष्ठा का भी प्रतीक बन चुकी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा धार्मिक एकता, सहिष्णुता और भारत की सांस्कृतिक विविधता का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आई है, जहाँ जाति, क्षेत्र और भाषा से परे श्रद्धालु एक ही उद्देश्य से एकत्र होते हैं — बाबा बर्फानी के पावन दर्शन और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति।

मालिक जयेश जग्शी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई) कार्यकारी संपादकः अरविंद मिश्रा, सहसंपादकः सुजीत मिश्रा (दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं)
● आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084 ● ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com ● भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113

संक्षिप्त समाचार

भिवंडी से दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण

भिवंडी - भिवंडी शहर में नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।एक ही दिन में शहर के दो अलग-अलग इलाकों से नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं।

पहली घटना में, भिवंडी तालुका के भाटला गांव की निवासी सीमा रमेश जाधव की 17 वर्षीय बेटी मोहिनी अपर लोढ़ा मानकोली से लापता हो गई। परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन मोहिनी नहीं मिली। इसके बाद, उसकी माँ की शिकायत पर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोहिनी के बालमन का फायदा उठाकर उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया है।

दूसरी घटना में, नवीबस्ती ग्लोरी स्कूल परिसर में रहने वाली रुक्सार यासीन खान की 16 साल 8 महीने की बेटी खुशनुमा बुधवार दोपहर 3 बजे घर में किसी को कुछ बताए बिना कहीं चली गई। परिवार ने इलाके में उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। परिवार को यकीन है कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है और इस संबंध में शहर पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है।

पद्मानगर में घरफोड़, सवा लाख के गहने और नकदी चोरी

भिवंडी । पद्मानगर इलाके में चोर ने खिड़की से घर में घुसकर 1।26 लाख रुपये के गहने, नकदी और मोबाइल पर हाथ साफ किया। घटना मंगलवार देर रात की है। रवींद्र सज्जन की शिकायत पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

भिवंडी में छह महीने में 6,250 लोगों को कुत्तों ने काटा, आवारा कुत्तों से दहशत

भिवंडी । आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। उपजिला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में शहर में 6,250 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है। हाल ही में दरगाह रोड इलाके में एक पागल कुत्ता एक ही दिन में 11 लोगों को काट गया, जिसमें से एक घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है।

जनवरी से लेकर 15 जुलाई 2025 तक कुत्ते काटने की घटनाएं इस प्रकार हैं — जनवरी में 1066, फरवरी में 1042, मार्च में 1104, अप्रैल में 988, मई में 1000, जून में 689 और जुलाई के पंद्रह दिनों में 361 मामले दर्ज हुए हैं।

आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए पिछले साल तत्कालीन आयुक्त अजय वैद्य ने 12 साल से बंद पड़े श्वान नसबंदी केंद्र को 11 नवंबर 2024 से पुनः शुरू किया। 'वेट्स सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन' नामक संस्था को 5 वर्षों के लिए नसबंदी का ठेका दिया गया है, जिसे प्रति कुत्ते 1450 रुपये दिए जा रहे हैं। स्वच्छता विभाग के प्रमुख फैजल तातली के अनुसार, 11 नवंबर 2024 से 15 जुलाई 2025 तक 3,275 कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें रेबीज रोधी टीका लगाया गया है। इसके बावजूद, शहर में बढ़ते कुत्तों के हमले चिंता का विषय बने हुए हैं।

भिवंडी में रंगदारी के लिए टेम्पो चालक पर जानलेवा हमला, दो गिरफ्तार

भिवंडीः भिवंडी के न्यू कणेरी इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां चार बदमाशों ने एक कारखाने में घुसकर मालिक से रंगदारी मांगी और विरोध करने पर टेम्पो चालक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य फरार हैं।पुलिस के अनुसार, न्यू कणेरी में कुसुम टेक्सटाइल के पास खीरिश हिरजी करनिया (58) का कारखाना है। चार आरोपियों—सूरज काशीनाथ आगम (20), सिद्धू उर्फ पेडवा राजेश राय (19), सैंडी उर्फ कालू और पव्या—ने कारखाने में घुसकर मालिक और मजदूरों को धमकाते हुए रंगदारी की मांग की। मालिक के इनकार करने पर सूरज ने टेम्पो चालक दिनेश लीलाधर मारू के माथे और शरीर पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।आरोपियों ने चालक की जेब से 500 रुपये छीने, हवा में चाकू लहराया और हर महीने रंगदारी देने की धमकी दी। उन्होंने मालिक और मजदूरों को गालियां दीं और इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की। मालिक की शिकायत पर शहर पुलिस स्टेशन में चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सूरज और सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सैंडी और पव्या की तलाश जारी है। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद परदेशी कर रहे हैं।

ठाणे मनपा के 155 सफाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति, कर्मचारियों में खुशी की लहर

ठाणे नगर निगम ने एक अहम निर्णय लेते हुए सेवा में कार्यरत 155 सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर दिया है। मनपा सेवा में उत्तराधिकार के आधार पर नियुक्त इन कर्मचारियों की स्थायीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसके तहत नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस निर्णय से मनपा कर्मचारियों में उत्साह और संतोष का माहौल देखा गया।

लाड-पागे समिति की सिफारिशों के अनुसार, सेवानिवृत्त या स्वेच्छिक सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को मनपा सेवा में नियुक्त किया जाता है, जिन्हें तीन वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद स्थायी किया जाता है। इसी नीति के अंतर्गत मनपा आयुक्त सौरभ राव के निर्देश पर स्थापना विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें सभी दस्तावेजों की जांच के बाद 155 कर्मचारियों की नियुक्ति को स्थायी रूप से मान्यता दी गई। आयुक्त राव ने यह भी आदेश दिए हैं कि इन कर्मचारियों को अब निगम की ओर से मिलने वाले सभी लाभ तुरंत प्रदान किए जाएं। स्थायीकृत किए गए कर्मचारियों ने निगम के इस निर्णय पर संतोष जताया और इसे उनके भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुंबई-नाशिक हाईवे की बदहाली के खिलाफ पडघा टोल प्लाजा पर शिवसेना-मनसे का संयुक्त प्रदर्शन

भिवंडीः मुंबई-नाशिक महामार्ग के पडघा इलाके में हाईवे और सर्विस रोड पर बड़े-बड़े गड्ढों के कारण लोगों में भारी नाराजगी है। इसके विरोध में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने गुरुवार, 17 जुलाई 2025 को पडघा टोल प्लाजा पर संयुक्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दबाव में पुलिस ने सुबह से ही टोल वसूली बंद करवा दी थी।

आंदोलन का नेतृत्व और सहभागिता

शिवसेना के उपजिला प्रमुख प्रकाश भोईर और मनसे के लोकसभा अध्यक्ष शैलेश बिडवी ने पंचक्रोशी के नागरिकों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। प्रदर्शन में शिवसेना के उपनेता ज्योती ठाकरे, विश्वास थळे, लोकसभा संपर्क प्रमुख साईनाथ तारे, जिलाप्रमुख कुंदन पाटील, तालुका प्रमुख करसन ठाकरे, महादेव घाटाळ, मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष डी।के। म्हात्रे, शैलेश बिडवी, मदन पाटील, तालुका अध्यक्ष विकास जाधव, पडघा ग्रामपंचायत सरपंच रवींद्र विशे, राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) के तालुका अध्यक्ष गणेश गुळवी, भगवान सांबरे सहित दोनों दलों के कई पदाधिकारी

और कार्यकर्ता शामिल हुए।

प्रमुख मांगें

आंदोलनकारियों ने निम्नलिखित मांगें उठाईं:

- मुंबई-नाशिक हाईवे और सर्विस रोड पर गड्ढों की तत्काल मरम्मत।
- पडघा-आमणे-कल्याण मार्ग की खराब सड़क की मरम्मत।
- पडघा टोल नाके के दोनों ओर सर्विस रोड के गड्ढों की तुरंत मरम्मत।
- पडघा शहर के क्रॉसिंग पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।
- पडघा से भादाणे गांव जाने वाले अंडरपास के गड्ढों की स्थायी मरम्मत और पानी निकासी की व्यवस्था।
- शेरेकरपाड़ा गांव के लिए अंडरपास का निर्माण।
- तळवली नाका पर अंडरपास, फ्लाईओवर और सर्विस रोड चौड़ीकरण का त्वरित निर्माण।

प्रशासन को ज्ञापन और आश्वासन

आंदोलनकारियों ने तहसीलदार अभिजित खोल, पुलिस उपाधीक्षक राहुल झालटे, राष्ट्रीय महामार्ग के परियोजना निदेशक श्रीकांत ठिगे, और सार्वजनिक निर्माण विभाग के शाखा अभियंता कुरेशी को मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जिलाधिकारी कार्यालय में तत्काल बैठक आयोजित कर समयबद्ध कार्यक्रम के तहत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह प्रदर्शन मुंबई-नाशिक हाईवे की बदहाली और प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ जनाक्रोश को दर्शाता है, जिसके चलते स्थानीय लोग और दोनों दल एकजुट हुए।

4 साल से चल रही पानी चोरी का भंडाफोड़, 1.92 लाख की चोरी पकड़ी, एक पर केस दर्ज

भिवंडी। भिवंडी के कोंबडपाडा इलाके में मनपा जलापूर्ति विभाग ने छापा मारते हुए 4 वर्षों से चल रही अवैध पानी सप्लाई का पर्दाफाश किया। आरोपी रवि सिंह ने 1 इंच के दो पाइप कनेक्शन डालकर शहर के पानी को ग्रामीण इलाके मीठपाड़ा की चॉल तक पहुंचाया था। विभाग ने पाइप जब्त कर, आरोपी पर IPC की कई धाराओं में निजामपुरा थाने में केस दर्ज कराया। इस कार्रवाई से पानी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मनपा को 1.92 लाख का नुकसान हुआ। जलापूर्ति विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

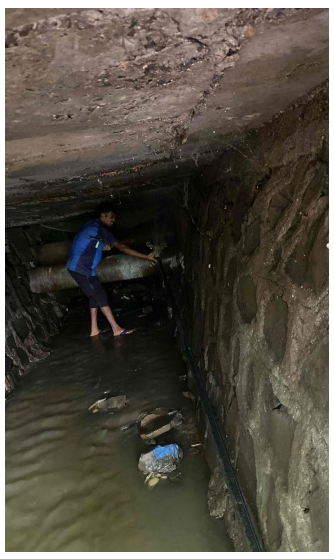

मुंबई लोकल में भीड़ और हादसों से निपटने की तैयारी सरकार ऑफिस टाइमिंग में बदलाव पर कर रही विचार

मुंबई। मुंबई लोकल ट्रेनों में लगातार बढ़ती भीड़ और हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने गुरुवार को बताया कि सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों के समय में बदलाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इससे ट्रेनों में पीक ऑवर्स (सुबह 8-10 और शाम 6-8) के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा।

सरनाईक ने कहा कि ट्रेनों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए ऑफिस समय में आधे या एक घंटे का लचीलापन दिया जा सकता है। जैसे यदि किसी दफ्तर का समय सुबह 10 बजे है, तो उसे 10 से 5 या 11 से 6 तक किया जा सकता है। उन्होंने

यह भी कहा कि अगर एक घंटे का अतिरिक्त काम करना पड़े, तो भी यह यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।

उन्होंने 5 जून को हुई एक रेल दुर्घटना का भी ज़िक्र किया, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हो गए थे। घायलों को सांसद श्रीकांत शिंदे के प्रयासों से बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सरनाईक ने यह भी कहा कि सरकार रेलवे पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक परिवहन साधनों जैसे बस और टैक्सी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रही है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है।

अवैध रूप से चल रही ओला और उबर टैक्सियों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 72 गाड़ियां जब्त की गई हैं और 138 स्थानों पर छापेमारी की गई है। मंत्री ने साफ कहा कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना चल रही टैक्सियां अवैध मानी जाएंगी और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

सरनाईक ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पहल केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निजी कंपनियों से भी आग्रह किया जाएगा कि वे अपने ऑफिस टाइम में लचीलापन लाएं। उन्होंने इसे सामाजिक जिम्मेदारी बताया ताकि लोकल ट्रेनों में भीड़ घटाई जा सके और यात्राएं सुरक्षित बन सकें।

भिवंडी में अनधिकृत निर्माण पर तोड़फोड़ रोकी जाए: विधायक महेश चौघुले की मुख्यमंत्री से अपील

भिवंडी। भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौघुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शुरू होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भिवंडी में बने गोदाम और लॉजिस्टिक्स पार्क लाखों लोगों की आजीविका से जुड़े हैं।

विधायक ने ज्ञापन देकर मांग की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर

करे, 2007 से पहले और बाद के निर्माणों को अलग-अलग श्रेणी में बांटकर नीति बनाए, भिवंडी के लिए स्वतंत्र योजना व रियायतों के साथ एक विशेष समिति गठित की जाए और तत्काल बिजली-पानी बंद करने व तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

चौघुले ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ निर्माण का नहीं, बल्कि लाखों लोगों के रोजगार और भिवंडी के औद्योगिक भविष्य का है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री जल्द सकारात्मक निर्णय लेंगे।

मुंबई एयरपोर्ट के पास मांस की दुकानों पर फिर उठा सवाल हाईकोर्ट ने बीएमसी से आदेशों का पालन करने को कहा

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के आसपास अवैध बूचड़खानों और मांस की दुकानों को लेकर BMC को पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुंबई एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के भीतर खुले ऐसे अवैध बूचड़खानों पर रोक के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अब नए निर्देश की जरूरत नहीं है।

यह निर्देश अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिका में दावा किया गया कि मुंबई हवाई अड्डे के पास खुले मांस के दुकानों और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ BMC कोई सख्त कार्रवाई नहीं

कर रही है, जिससे विमानन सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।

याचिकाकर्ता के वकील सिद्ध विद्या ने दलील दी कि बकरीद के दौरान BMC ने जिन मांस की दुकानों को कुर्बानी की अनुमति दी, उनमें से कुछ दुकानें एयरपोर्ट से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर थीं। इससे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे बूचड़खानों और मांस की दुकानों के कारण पक्षी मांस की तलाश में एयरपोर्ट के आसपास मंडराते हैं, जिससे विमानों की लैंडिंग के वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। यह नागरिक उड्डयन अधिनियम 1934 की धारा 10 का उल्लंघन भी है।

यूपी के प्रतापगढ़ में अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, होटल प्रबंधक गिरफ्तार, ग्रैंड पैलेस सील

राष्ट्रीय स्वाभिमान। विकल पाण्डेय

प्रतापगढ। प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित होटल ग्रैंड पैलेस में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल प्रबंधक सुहान खान को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉ। अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

घटना 14 जुलाई 2025 की है, जब होटल में एक युवक और युवती के मिलने की जानकारी मिलने पर युवती के परिजनों और युवक के बीच विवाद हुआ। इस संबंध में युवती की ओर से थाने में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, मानहानि, धमकी और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला

कि जून माह में होटल में तीन बार अलग-अलग आईडी पर संदिग्ध एंट्री की गई थी, जिससे होटल में अनैतिक गतिविधियों की पुष्टि हुई।

पुलिस ने घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई। इसके बाद उपजिलाधिकारी सदर की उपस्थिति में होटल का निरीक्षण किया गया, जिसमें होटल संचालन से जुड़े आवश्यक लाइसेंस, सराय अधिनियम aके अंतर्गत पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन खामियों के चलते होटल को विधिक प्रावधानों के अंतर्गत सील कर दिया गया।

कोतवाली नगर थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज यादव के नेतृत्व में टीम ने होटल प्रबंधक सुहान खान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से होटल का रजिस्टर भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉ। अनिल कुमार ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सख्ती से काम कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पीड़ित को त्वरित न्याय और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही प्राथमिकता है। मामला अब भी जांच के अधीन है और अन्य संबंधित पक्षों की भूमिका की जांच की जा रही है।

अमेरिकी नागरिक बच्चे को गोद नहीं ले सकते भारतीय: कोर्ट

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि भारतीय नागरिक का यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि वह किसी रिश्तेदार के अमेरिकी नागरिक बच्चे को गोद ले सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई बच्चा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता में नहीं है या कानून के उल्लंघन से जुड़ा नहीं है, तब ऐसे बच्चे को भारतीय कानून के तहत गोद नहीं लिया जा सकता। यह फैसला न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने सुनाया। एक भारतीय दंपत्ति ने अपने रिश्तेदार के बेटे को गोद लेने की याचिका दायर की थी। बच्चा जन्म से अमेरिका का नागरिक है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह मामला भारतीय कानून की सीमाओं से बाहर है।

कोर्ट ने कहा कि जिस बच्चे को गोद लेने की कोशिश की जा रही है, वह भारत के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे या कानून से टकराव में आए बच्चे की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए भारतीय गोद

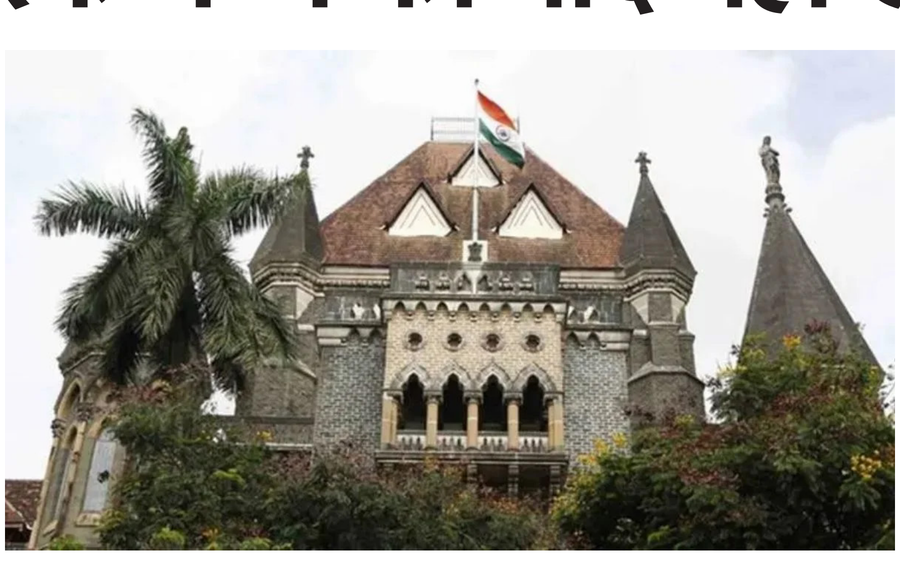

लेने के नियमों और कानूनों के अंतर्गत ऐसा दत्तक ग्रहण वैध नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने साफ कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और एडॉप्शन रेगुलेशन्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी विदेशी नागरिक, चाहे वह रिश्तेदार ही क्यों न हो, को भारत में गोद लेने की अनुमति देता हो। जब तक वह बच्चा विशेष श्रेणियों में नहीं आता। इसलिए कोर्ट ने अपने असाधारण अधिकार का प्रयोग करते हुए भी दत्तक ग्रहण को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

इस मामले में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने पहले ही इस दंपति को 'संभावित गोद लेने वाले माता-पिता' के तौर पर पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था। सीएआरए का कहना था कि अमेरिका में जन्मे बच्चे को तब तक गोद नहीं लिया जा सकता जब तक वह अमेरिका में वहां के कानूनों के तहत दत्तक नहीं हो जाता।

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दंपत्ति इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो उन्हें पहले अमेरिका में विधिवत रूप से गोद लेने की प्रक्रियान पूरी करनी होगी। इसके बाद ही वे भारत में संबंधित दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के आधार पर बच्चे को भारत ला सकते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था विदेशी नागरिक बच्चों को सीधे गोद लेने की अनुमति नहीं देती।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा कि न तो याचिकाकर्ताओं का कोई मौलिक अधिकार बनता है विदेशी नागरिक बच्चे को गोद लेने का, और न ही बच्चे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में भारतीय कानून की संवैधानिक और कानूनी सीमाओं का पालन अनिवार्य है।

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

हिन्दी दैनिक राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहार:रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महला, पत्रावाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001, **भ्र.ध्व. क्र.:9224733113**
ईमेल:rastriyaswabhimaan@gmail.com

छांगुर बाबा के मुंबई सहित देशभर के 14 ठिकानों पर छापेमारी सुबह 5 बजे बलरामपुर और मुंबई पहुंचीं टीमें

मुंबईः धर्मांतरण और हवाला लेनदेन के गंभीर आरोपों से जुड़े छांगुर बाबा केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को देशभर के 14 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी की। इनमें से दो ठिकाने मुंबई के बांद्रा और माहिम क्षेत्र में स्थित हैं, जहां छांगुर बाबा के करीबी शहजादा के आवास और कार्यालय पर कार्रवाई की गई।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीम गुरुवार सुबह 5 बजे बांद्रा स्थित कनकिया पेरिस इमारत पर पहुंची। यहां रहने वाले शहजादा के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पता चलने के बाद छापेमारी की गई। यह राशि नवीन नामक व्यक्ति के खाते से ट्रांसफर हुई थी, जो छांगुर बाबा का करीबी बताया जा रहा है।

ईडी को अब तक छांगुर बाबा से जुड़े 18 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें करीब 68 से 70 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन हुआ है। इनमें से कुछ खातों में केवल पिछले तीन महीनों में ही 7-8 करोड़ रुपये की रकम जमा या निकाली गई है। माना जा रहा है कि यह रकम कथित तौर पर धर्मांतरण और संगठित नेटवर्क के संचालन में इस्तेमाल हुई।

ईडी सूत्रों के अनुसार, छांगुर बाबा का हवाला नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। यूएई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों से पांच विदेशी बैंक खातों के जरिए भारत में फंड ट्रांसफर किया गया। अब यह जांच हो रही है कि ये फंड कब, कितने और किन माध्यमों से देश में पहुंचे।

प्रवर्तन निदेशालय अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है, जिसकी जड़ें बलरामपुर (उत्तर प्रदेश) से शुरू होकर मुंबई तक फैली हुई हैं। हवाला लेनदेन और विदेशी फंडिंग की यह जांच आने वाले दिनों में और व्यापक रूप ले सकती है।

कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार पर लगाम स्पीड सेंसिंग कैमरे और फायर सुरक्षा की नई व्यवस्था

नरिमन प्वाइंट से वरली तक स्पीड कैमरा लगाने का काम शुरू

मुंबई। दक्षिण मुंबई के नरिमन प्वाइंट से वरली तक फैले कोस्टल रोड पर अब तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों की खैर नहीं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में जानकारी दी कि इस मार्ग पर स्पीड सेंसिंग कैमरे लगाने का काम तेज़ी से चल रहा है और जल्द ही ये कैमरे पूरी तरह कार्यान्वित हो जाएंगे।

यह जानकारी शिंदे ने विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में दी। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के विधायक सचिन अहिर ने कोस्टल रोड की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को लेकर सवाल उठाया था। शिंदे ने बताया कि फिलहाल परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से इंटरसेप्टर वाहन दोनों दिशाओं में तैनात किए गए हैं, जो तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों पर नजर रखते हैं और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कोस्टल रोड की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए बडोदा पैलेस के पास एक फायर स्टेशन बनाने के लिए जगह चिन्हित की गई है। जब तक यह केंद्र पूरी तरह कार्यान्वित नहीं होता, तब तक अमरसन उद्यान परिसर में एक शीघ्र प्रतिसाद अग्निशमन वाहन तैनात किया गया है। इसके साथ ही ठेकेदार के माध्यम से एक फायर टेंडर और फायर मार्शल की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।

महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक पर कांग्रेस में दो-फाड़ विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार से महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने मांगा स्पष्टीकरण

मुंबईः महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में पिछले हफ्ते पारित हुए महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2024 को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के भीतर विवाद गहराने लगा है। यह विधेयक विपक्ष के किसी विरोध के बिना पारित हो गया, जिससे कांग्रेस हाईकमान नाखुश है। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पार्टी विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि यह विधेयक पूर्व में हुई पार्टी बैठक में लिए गए निर्णय के खिलाफ बिना विरोध के पारित हुआ। सपकाल ने यह कदम पार्टी आलाकमान के निर्देश पर उठाया है और स्पष्ट किया है कि कांग्रेस को विधेयक का विरोध करना चाहिए था, क्योंकि यह जन अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला है।

विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने पत्रकारों से बातचीत में स्वीकार किया कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा, ₹मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि विधेयक 10 जुलाई को विधानसभा में लाया जाएगा। उस दिन मैं अपने गृह जिले चंद्रपुर में बैंक चुनावों के सिलसिले में था। यदि मुझे पता होता, तो मैं विरोधस्वरूप विधेयक की प्रति फाड़ देता।

इस विवादास्पद विधेयक का मकसद वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगाना बताया गया है, खासकर 'शहरी नक्सलवाद' को रोकने के नाम पर। विधेयक में कड़े प्रावधान हैं, जिनके तहत दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना और सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

मराठी बनाम गैर-मराठी को बढ़ावा दे रही भाजपाः रोहित पवार

मुंबई। मुंबई के विक्रोली इलाके में गुरुवार को एक दुकानदार ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मराठी भाषा के खिलाफ टिप्पणी कर दी, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना ने महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रहे विवाद को और भड़का दिया है। एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर मराठी बनाम गैर-मराठी का मुद्दा उछाल रही है ताकि समाज में विभाजन पैदा किया जा सके। उन्होंने कहा, "किसी को भी किसी पर हमला करने या उसके घर में तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं है। मराठी के खिलाफ कोई न बोले, लेकिन हिंसा भी सही नहीं है।"

पवार ने मुंबई के विकास में मराठी और अन्य भाषी समुदायों के योगदान की बात करते हुए कहा कि यह शहर सबका है। उन्होंने सभी से मराठी भाषा का सम्मान करने की अपील की लेकिन साथ ही यह भी कहा कि भाजपा इस मामले को जानबूझकर बढ़ावा दे रही है।

रोहित पवार ने मनसे कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भाजपा की मदद न करें। उन्होंने कहा कि यह केवल भाषा नहीं, अस्मिता का सवाल बनाकर लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है।

भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा त्रिभाषा नीति को दोबारा लागू करने की बात पर रोहित पवार ने तंज कसते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने कहा कि इस नीति पर सरकार पहले ही पीछे हट चुकी है। हिंदीभाषियों में भी भाजपा के प्रति नाराजगी है कि उनकी सरकार होते हुए भी हिंदी का जीआर रद्द किया गया। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की भाषा नीति का असर बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों के चुनावों पर भी पड़ेगा। उन्होंने इसे भाजपा की दोहरी राजनीति करार दिया।

अब Amazon पर उपलब्ध ओबेन इलेक्ट्रिक की Rorr EZ बाइक

मुंबईः भारत की इनोवेटिव इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता ओबेन इलेक्ट्रिक ने अपनी लोकप्रिय सिटी कम्यूटर बाइक Rorr EZ को अब Amazon पर भी उपलब्ध करा दिया है।

इस डिजिटल पहल के तहत ग्राहक अब घर बैठे ही 3.4 kWh और 4.4 kWh मॉडल की बुकिंग कर सकते हैं, जिनकी कीमतें क्रमशः 1,19,999 और 1,29,999 रखी गई हैं (20,000 की छूट सहित)।

ओबेन की फाउंडर व सीईओ मधुमिता अग्रवाल के अनुसार, यह कदम नए ग्राहकों के लिए ईवी खरीद को और आसान बनाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पहली बार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लेना चाहते हैं।

कंपनी के अनुसार, Rorr EZ बाइक में ताकतवर परफॉर्मेंस, आरामदायक राइडिंग और शानदार डिज़ाइन का संतुलन है। यह बाइक ARX प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो इसे शहर की सड़कों के लिए एक मजबूत और स्टाइलिश विकल्प बनाता है।

यह रणनीति ओबेन की ऑफलाइन और ऑनलाइन उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

टाटा पंच ने महज़ चार साल में रचा इतिहास, 6 लाख यूनिट्स का उत्पादन पूरा, बना भारत की सबसे पसंदीदा एसयूवी

मुंबईः टाटा मोटर्स की सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच ने चार साल से भी कम समय में 6 लाख यूनिट्स का उत्पादन कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने इस मील के पत्थर की घोषणा करते हुए बताया कि महाराष्ट्र अकेले इस आंकड़े में 12% का अहम योगदान देता है।

अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुई पंच ने भारतीय ऑटो बाजार में एसयूवी को आम लोगों की पहुंच में लाने का काम किया। शहरी गलियों से लेकर ग्रामीण सड़कों तक, यह कार आज लाखों भारतीयों की पहली पसंद बन चुकी है — खासकर पहली बार कार खरीदने वालों और युवा प्रोफेशनलों के बीच।

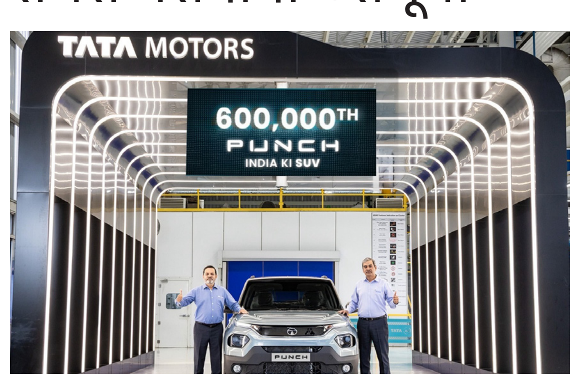

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के सीसीओ विवेक श्रीवत्स ने कहा, "6 लाख यूनिट्स का आंकड़ा सिर्फ उत्पादन नहीं, उन लाखों ग्राहकों के भरोसे की मुहर है जिन्होंने पंच को चुना। यह आत्मनिर्भर और साहसी भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है।"

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, दमदार लुक और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ पंच ने न केवल एक नए सेगमेंट को जन्म दिया, बल्कि 2024 में भारत की सबसे अधिक बिकने वाली कार बनने का खिताब भी अपने नाम किया।

टाटा मोटर्स अब "इंडिया की एसयूवी" नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है, जो उन सभी ग्राहकों को समर्पित है जिन्होंने पंच को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाया।

ठाणे लोकसभा क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्यों में देरी पर सांसद नरेश म्हस्के ने जताई नाराजगी, चेताया जन आंदोलन का इशारा

मुंबई। ठाणे लोकसभा क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं के विकास में हो रही देरी को लेकर भाजपा सांसद नरेश म्हस्के ने मध्य रेल प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने मुंबई में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक धर्मवीर मीणा से मुलाकात कर स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ठाणे सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य शीघ्र शुरू नहीं किए गए, तो वे जन आंदोलन छेड़ने को मजबूर होंगे।

म्हस्के ने बताया कि ठाणे रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए RLDA द्वारा 950 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान 26 मई 2023 को भेजा गया था, लेकिन दो साल बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बतौर सांसद वे इस मुद्दे का लगातार अनुसरण कर रहे हैं, फिर भी रेलवे की उदासीनता यात्रियों के साथ अन्याय है।

बैठक में उप महाप्रबंधक के. के. मिश्रा, मंडल रेल प्रबंधक हरीश मीणा, एस. एस. गुप्ता समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर महिलाओं को मानसून में होने वाली परेशानी, एक अतिरिक्त फुटओवर ब्रिज की जरूरत, प्लेटफॉर्म 5 से 10 तक के अधूरे पुल निर्माण कार्य, वर्तकनगर आरक्षण केंद्र में शौचालय और पेयजल की अनुपलब्धता जैसी कई गंभीर समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। उन्होंने इन सभी कार्यों को प्राथमिकता देकर तुरंत पूर्ण करने की मांग की।

म्हस्के ने कहा कि आम नागरिकों की सहूलियत के लिए ये विकास कार्य अनिवार्य हैं और यदि रेलवे प्रशासन ने जल्द निर्णय नहीं लिया, तो वे ठाणे में व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे।

कल्याण के चिकणघर MHADA पुनर्विकास प्रोजेक्ट का मुद्दा विधान परिषद में गूंजा, एक महीने में समाधान का आश्वासन

मुंबई। कल्याण पश्चिम के चिकणघर इलाके की शांतिदूत सोसायटी में वर्षों से अटके म्हाडा पुनर्विकास प्रोजेक्ट का मामला अब महाराष्ट्र विधान परिषद में गूंज उठा है। भाजपा विधायक योगेश टिळेकर ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए बताया कि 13 साल पहले शुरू हुई यह परियोजना अब तक अधूरी है, जिससे 184 परिवार दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।

विधायक ने आरोप लगाया कि डेवलपर ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से सोसायटी की संपत्ति पर कब्जा जमाने की साजिश रची है। उन्होंने बताया कि 46 महीने से किराया नहीं दिया गया है, इमारत को गिरा दिया गया, और HDFC बैंक से फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन लिया गया। दुखद यह भी है कि इस दौरान 184 में से 57 सदस्य दुनिया छोड़ चुके हैं।

गृहराज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि एक महीने के भीतर म्हाडा, डेवलपर, सोसायटी और स्थानीय प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें प्रोजेक्ट की प्रगति और बकाया किराये को लेकर ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द गति दी जाएगी, ताकि प्रभावित परिवारों को उनका हक मिल सके।

भोजपुरी फिल्म "सूर्यवंशम" के निर्देशक रजनीश मिश्रा को मिला बेस्ट फिल्म डायरेक्टर का सम्मान

राष्ट्रीय स्वाभिमान। हरिश अवस्थी

मुंबई। भोजपुरी सिनेमा के प्रख्यात निर्देशक और संगीतकार रजनीश मिश्रा को 16 जुलाई 2025 को आयोजित ग्रीन सिनेमा अवॉर्ड शो में बेस्ट फिल्म डायरेक्टर के प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस समारोह में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने भाग लिया और रजनीश मिश्रा को इस सम्मान के लिए बधाई दी।

रजनीश मिश्रा ने हाल ही में याशी फिल्म्स और रेनू विजय फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी सुपरहिट फिल्म ₹सूर्यवंशम₹ का निर्देशन और संगीत निर्देशन किया था, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह, आस्था सिंह, शालू सिंह और चांदनी सिंह जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएँ निभाई थीं। फिल्म को दर्शकों से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही।

रजनीश मिश्रा ने सूर्यवंशम के अलावा पटना से पाकिस्तान, मैं सहारा बंध के आऊंगा, मेहंदी लगा के रखना, निरहुआ हिंदुस्तानी-3 और बम बम बोल रहा है काशी जैसी सुपरहिट फिल्में देकर भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। अवॉर्ड स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, यह अवॉर्ड मेरे लिए बेहद खास है और मैं इसे अपनी टीम और दर्शकों को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा प्यार और समर्थन दिया। रजनीश मिश्रा की इस उपलब्धि ने भोजपुरी फिल्म जगत में खुशी और गर्व का माहौल बना दिया है।

मीरा रोड में कामत्स लेगेसी का नया आउटलेट शुरू, बच्चों के लिए खास मेन्यू लॉन्च

ठाणेः प्रसिद्ध शुद्ध दक्षिण भारतीय भोजन श्रृंखला कामत्स लेगेसी ने मीरा रोड, ठाणे में अपना नया आउटलेट खोला है। रंग-बिरे और हवादार माहौल वाले इस रेस्टोरेंट में केले के पत्ते पर भोजन, कोल्ड-प्रेस्ड मूंगफली तेल जैसे पारंपरिक तरीकों के साथ इनोवेशन को जोड़ा गया है।

उद्घाटन अवसर पर 300 से अधिक स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को आमंत्रित किया गया, जिन्हें खास किड्स मेन्यू का स्वाद चखने को मिला। मेन्यू में उल्टापुल्टा डोसा, मिनी चीज़ बाइट्स और साउथिज़्ज़ा जैसे मज़ेदार व्यंजन शामिल हैं।

डॉ. विक्रम कामत ने कहा कि नया आउटलेट दक्षिण भारतीय संस्कृति और स्वाद को मीरा रोड जैसे उभरते क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास है।